न्यायालय अपर जिला कलक्टर मुकाम सीकर

सरकार बनाम पंकज कुमार वगै.

मुकदमा नम्बर 26/2025/एफएसएस एक्ट 2006 व नियम 2011

19.03.2026	पत्रावली पेश हुई। खाद्यसुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी पंकज कुमावत पुत्र श्री राजकुमार कुमावत, निवासी ग्रा.पो. गुढागोडजी, तह. उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू मैसर्स सीकर एण्ड झुंझुनू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., एन.एच.11, जयपुर रोड पलसाना, सीकर उपस्थित। अप्रार्थी ने उपस्थित आकर जवाब आवेदन पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 11.01.2023 को निरीक्षण के दौरान सरस घी का नमूना लिया गया था उक्त सरस घी के पैकेट पर उत्पादन तिथि से 6 माह की अवधि लिखा हुआ था एवं एक्सपायरी दिनांक अंकित नहीं थी। उक्त सरस घी में गुणवता सम्बंधित मानक पुरे थे जिससे उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ता। अप्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 11.01.2023 को निरीक्षण के दौरान अप्रार्थी द्वारा विक्रय किये जा रहे घी(सरस) का नमूना लिया गया। उक्त नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) का पाया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा, जयपुर की रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण Misbranded Food का पाया गया। उक्त नमूना मिथ्याछाप नहीं होने के सम्बंध में अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार जांच रिपोर्ट में नमूना मिथ्याछाप का पाये जाने से प्रार्थी को भविष्य में अमानक रहित खाद्य पदार्थो का विक्रय किये जाने की हिदायत के साथ एवं खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के तहत अप्रार्थी के **50,000/- रूपये** का जुर्माना किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्माना राशि राज्यकोष में जमा करवाये, वरना अप्रार्थी के विरूद्व इस अधिनियम के विरूद्व कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। 19/3/26

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं (अपर जिला मजिस्ट्रेट) सीकर (राज.)